न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र धारा 89 संख्या 02/2019
दायर दिनांक : 06.09.2019
आदेश दिनांक : 31.10.2025

1. मैसर्स खेतान बिजनेस कार्पोरेशन प्रा. लि. कार्यालय बी 10 श्री पति अपार्टमेन्ट कॉ आपरेटिव हाउसींग सोसाइटी लिमिटेड श्रीकान्त पालेकर रोड मरीन लाईन्स मुम्बई जरिए अधिकार पत्र धारक बैजनाथ चौहान पिता श्री देवनारायण जी राजपूत निवासी पुराना बस स्टेण्ड नाथद्वारा जिला राजसमंद नाथद्वारा पंजीकृत
2. श्री नाथूलाल गमेती पिता श्री माना उर्फ मन्ना भील उम्र 51 वर्ष निवासी पासूनिया वाडी का मथारा ग्राम पंचायत टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमंद
3. श्री कालूलाल पिता श्री मानां उर्फ मन्ना भील उम्र 64 वर्ष निवासी पासूनिया वाडी का मथारा ग्राम पंचायत टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमंद
4. श्री मांगीलाल पिता श्री माना उर्फ मन्ना भील उम्र 54 वर्ष निवासी पासूनिया वाडी का मथारा ग्राम पंचायत टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमंद

– प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री संपत लाल लड्ढा, अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या एक मैसर्स खेतान बिजनेश कार्पोरेशन प्रा0 लि0 को खनन पट्टा कमांक 12/2000 निकट ग्राम राबचा में अप्रधान खनिज हेतु स्वीकृत होकर चालू है। अन्तिम मर्तबा इस खनन पट्टा का नवीनीकरण शासन के आदेश क्रमांक प 5 (3) खान/ग्रुप –2/2001 दिनांक 07.03.2003 से अवधि दिनांक 01.11.2002 से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया जिसका पंजीयन दिनांक 23.05.2003 को हुआ तथा कार्यालय पत्र क्रमांक 2059 दिनांक 28.02.2015 से उक्त खनन पट्टे की अवधि 31.03.2030 तक स्वतः बढ़ गई है। उक्त एम एल नम्बर 12/2000 निकट ग्राम राबचा के क्षेत्र में ग्राम राबचा की आराजी नम्बर 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी संख्या 2223 रकबा 0.0900 का सम्पूर्ण एरिया आता है जिसमें प्रार्थी संख्या दो तीन व चार खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ग्राम उपली ओडन की आराजी संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

2222 एवं 2223 में खनन कार्य करना चाहते है एवं इस हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि प्रार्थी संख्या एक, प्रार्थी संख्या दो तीन चार को अदा करने हेतु तैयार तत्पर व ईच्छुक है तथा प्रार्थी संख्या दो तीन व चार यह राशि नियमानुसार प्राप्त करने व प्रार्थी संख्या एक को खातेदारी आराजी संख्या 2222 व 2223 में खनन कार्य हेतु सहमती देने के लिए तैयार तत्पर व ईच्छूक है। प्रार्थीगण ने ग्राम उपली ओडन की आराजी संख्या 2222 एवं 2223 की नियमानुसार बनने वाली क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करने हेतु सब रजिस्ट्रार नाथद्वारा से पता किया तो ज्ञात हुआ कि मैक्सिमम 1,23,885/– (बारानी) एवं 2,87,231/– पीवल रूपये की राशि प्रति बीघा से होती है किन्तु प्रार्थीगण ने परस्पर सहमती से उक्त आराजी नम्बर 2222 एवं 2223 की कुल क्षतिपूर्ति सरफेस राइड राशि 6,00,000/– रूपये प्रतिबीघा से तय की है अर्थात आराजी नम्बर 2222 एवं 2223 की एक बीघा एक बिस्वा भुमि की क्षतिपूर्ति राशि 6,30,000/– रूपये छह लाख तीस हजार रूपये में सहमती प्रकट कर दी है। प्रार्थीगण के समझौते अनुसार धारा 89 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की यह याचिका निस्तारित करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी संख्या एक एवं प्रार्थी संख्या दो तीन चार को उक्त भुमियो की कुलिया क्षतिपूर्ति सरफेस राईड हेतु 6,30,000/–छह लाख तीस हजार रूपये निर्धारित की जाती है जिसे प्रार्थीगण एतद्वारा स्वीकार करते है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की याचिका स्वीकार फरमाई जाकर समुचित आदेश द्वारा प्रार्थी संख्या एक की एम एल नम्बर 12/2000 निकट ग्राम राबचा में खनन कार्य करने हेतु ग्राम उपली ओडन की आराजी नम्बर 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी संख्या 2223 रकबा 0.0900 भुमि की मुआवजा/ सरफेज राइड क्षतिपूर्ति 6,30,000/– छह लाख तीस हजार रूपये निर्धारित की जाकर प्रार्थी संख्या एक से प्रार्थी संख्या दो तीन चार को नियमानुसार भुगतान करवाई जाकर प्रार्थी संख्या एक को एम एल नम्बर 12/2000 निकट ग्राम राबचा में आने वाली आराजी नम्बर 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी संख्या 2223 रकबा 0.0900 में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार नाथद्वारा से मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थी संख्या एक मैसर्स खेतान बिजनेश कार्पोरेशन प्रा लि को खनन पट्टा क्रमांक 12/2000 निकट ग्राम राबचा में अप्रधान खनिज हेतु स्वीकृत होकर चालू है। उक्त खनन पट्टे की अवधि 31.03.2030 तक है। उक्त एम एल नम्बर 12/2000 निकट ग्राम राबचा के क्षेत्र में ग्राम उपली ओडन की आराजी नम्बर 2222 रकबा 0.1200 एवं आराजी संख्या 2223 रकबा 0.0900 का सम्पूर्ण एरिया आता है जिसमें प्रार्थी संख्या दो तीन व चार खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ग्राम उपली ओडन की आराजी संख्या 2222 एवं 2223 में खनन कार्य करना चाहते है एवं इस हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि प्रार्थी संख्या एक, प्रार्थी संख्या दो तीन चार को अदा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

करने हेतु तैयार तत्पर व ईच्छुक है तथा प्रार्थी संख्या दो तीन व चार यह राशि नियमानुसार प्राप्त करने व प्रार्थी संख्या एक को खातेदारी आराजी संख्या 2222 व 2223 में खनन कार्य हेतु सहमती देने के लिए तैयार तत्पर व ईच्छूक है। प्रार्थीगण ने ग्राम उपली ओडन की आराजी संख्या 2222 एवं 2223 की नियमानुसार बनने वाली क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करने हेतु सब रजिस्ट्रार नाथद्वारा से पता किया तो ज्ञात हुआ कि मैक्सिमम 1,23,885/– (बारानी) एवं 2,87,231/– पीवल रूपये की राशि प्रति बीघा से होती है किन्तु प्रार्थीगण ने परस्पर सहमती से उक्त आराजी नम्बर 2222 एवं 2223 की कुल क्षतिपूर्ति सरफेस राइड राशि 6,00,000/– रूपये प्रतिबीघा से तय की है अर्थात आराजी नम्बर 2222 एवं 2223 की एक बीघा एक बिस्वा भुमि की क्षतिपूर्ति राशि 6,30,000/– रूपये छह लाख तीस हजार रूपये में सहमती प्रकट कर दी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस पत्रावली में एक इकरारनामा संलग्न है जो दिनांक 22.02.2020 को निष्पादित किया गया। यह इकरारनामा प्रार्थी संख्या 1 मैसर्स खेतान प्रा0 लि0 व प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के बीच निष्पादित किया गया है। तथा इस इकारारनामे में यह कहा गया है कि राजस्व ग्राम उपली ओडन पटवार हल्का उपली ओडन की आराजी संख्या 2222 रकबा 12 बिस्वा तथा आराजी संख्या 2223 रकबा 9 बिस्वा (बंजड़) कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी भूमियां है। जो उनके स्वर्गीय पिता श्री माना उर्फ मन्ना भील की मृत्यु दिनांक 21.12.2005 को जाने व उनकी पत्नि टम्मू की मृत्यु दिनांक 05.10.2009 को जाने से उक्त भूमियां विरासत से प्रार्थी संख्या 2 से 4 तथा उनकी बहिने सोहनी तथा देवली के नाम दर्ज हुई। तथा प्रार्थी संख्या 2 से 4 तथा उनकी बहिने सोहनी तथा देवली के बीच आपसी समझौते से इनकी बहिने सोहनी तथा देवली ने हकत्याग प्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में कर दिया तथा उक्त आराजीयात मैसर्स खेतान प्राईवट लिमिटेड के खनन पट्टा एम. एल. नं. 12/2000 में आती है। जिसको खनन कार्य एवं एलिड एक्टीवीटीज में लेने की इच्छा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रकट की है। तथा प्रार्थी संख्या 2 से 4 को पारिवारिक कारणो से रूपये की आवश्यकता होने से तथा उक्त भूमियो में काश्त से कोई आय नहीं होने से सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि रूपये 6,30,000/– रूपये राशि प्रार्थी संख्या 2 से 4 लेकर बदले में मैसर्स खेतान खनन कार्य करेगा संबंधी प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष दिनांक 03.09.2019 को तय हुआ तथा उक्त भूमि में मैसर्स खेतान प्राईवट लिमिटेड खनन कार्य एवं खनन संबंधित अन्य कोई भी कार्य करे, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा में दिये गये समस्त अधिकार का उपयोग करे इस संबंध प्रार्थी को संख्या 2 से 4 एवं उनके वारिसान कोई उजर, एतराज एवं आपति नहीं होगी। क्योंकि मैसर्स खेतान प्राईवेट लिमिटेड ने प्रार्थी संख्या 2 से 4

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को समस्त हिस्से का मुआवजा/क्षतिपूर्ति चुकती प्राप्त कर पूर्ण रूप से कब्जा सिपूर्द कर दिया है।

अतः मैसर्स खेतान प्रा0 लि0 व प्रार्थी संख्या 2 से 4 के मध्य आपसी समझौते ईकरार अनुसार प्रार्थी संख्या 2 से 4 को मुआवजा राशि कुल रूपये 6,30,000/– रूपये जरिये चैक दिनांक 22.02.2020 से प्रत्येक प्रार्थी को राशि रूपये 2,10,000/– भुगतान किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थीगण के मध्य आपसी समझौते ईकरार अनुसार तथा प्रार्थी संख्या 2 से 4 को मुआवजा राशि कुल रूपये 6,30,000/– रूपये जरिये चैक दिनांक 22.02.2020 से प्रत्येक प्रार्थी को राशि रूपये 2,10,000/– भुगतान किये जाने से स्वीकार किया जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)